न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 03 / 2017

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1 सलमा बानो पत्नी मोहम्मद अयुब जाति छीपा निवासी 23, छीपों का मोहल्ला, पाली		राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) पाली

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री मोहम्मद शरीफ काज़ी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
2. सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक : 24/7/2018

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट के प्रस्तुत कर सहायक कलेक्टर पाली द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 59 / 2016 तहसीलदार पाली बनाम सलमा बानो में पारित आदेश दिनांक 05.12.2016 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट एवं सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट द्वारा मौजा पाली चक प्रथम के खसरा नम्बर 1054 रकबा 3.18 बीघा किस्म बारानी प्रथम की भूमि में कपडा रंगाई प्रिन्टिंग टेबले लगा कर फैक्ट्री का निर्माण किया गया है, जो विधि विरूद्ध होना बताते हुए आवश्यक कार्यवाही कराने का निवेदन किया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को जरिये नोटिस तलब किया, उक्त नोटिस अपीलाण्ट से विधिवत तामील भी नहीं हुआ तथा अपीलाण्ट को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किए, एकपक्षीय आदेश पारित करते हुए जैर अपील वादस्थ भूमि को राजकीय सिवायचक घोषित करने तथा अपीलाण्ट को भूमि से बेदखल कर भूमि का कब्जा सरकार लिये जाने का आदेश रेस्पोडेन्ट को दिया गया। उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही विधि विरूद्ध रूप से की गई हैं, क्योंकि उक्त भूमि पूर्व में उत्तमचन्द, कन्हैयालाल, धनेश कुमार, महेन्द्र कुमार के नाम दर्ज थी। सम्वत् 2048 की खसरा गिरदावरी में भी भूमि फैक्ट्री के रूप में दर्शाई गई है। इसके पश्चात सम्वत् 2067 के बाद धनेश कुमार से जैर अपील वादस्थ भूमि अपीलाण्ट द्वारा क्रय की गई तथा अपीलाण्ट द्वारा जिस रूप में भूमि क्रय की गई, उसी रूप में उपयोंग किया जा रहा है। अपीलाण्ट द्वारा किसी भी रूप में धारा 177 का उल्लंघन नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को किसी भी रूप में सुनवाई का अवसर नहीं दिया तथा विधि विरूद्ध रूप से जैर अपील आदेश पारित कर दिया। विधि

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के तहत कार्यवाही अथवा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की मियाद 3 वर्ष की निर्धारित है, जबकि तहसीलदार को सम्वत् 2048 से ही यह भली भांति संज्ञान में था कि उक्त भूमि की गिरदावरी में फैक्ट्री दर्ज है। इसके बावजूद तहसीलदार द्वारा मियाद बाहर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मियाद के बिन्दु पर किसी प्रकार की टिप्पणी किए बगैर ही जैर अपील निर्णय पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर ही नहीं दिया। अतः अपील स्वीकार करावे तथा जैर अपील आदेश अपास्त करावें।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट अपनी कृषि भूमि का बिना संपरिवर्तन करवाये गैर कृषिक प्रयोजन हेतु उपयोग में ले रहे थे तथा उनके द्वारा उक्त भूमि का विधिक रूपान्तरण नहीं करवाया गया। इस कारण रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट की तलबी हेतु जारी नोटिस विधिवत तामील हुआ है। इसके बावजूद अपीलाण्ट न्यायालय के समक्ष अनुपस्थित रहने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज करावें।

बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। ग्राम पाली चक प्रथम के खसरा नम्बर 1054 रकबा 3.18 बीघा किस्म बारानी दोयम की भूमि अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। तहसीलदार पाली द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट द्वारा उक्त भूमि पर फैक्ट्री का निर्माण कर हानिप्रद कार्य किया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपीलाण्ट के विरूद्ध विधि सम्मत कार्यवाही कराने का निवेदन किया। अपीलाण्ट का मुख्य उज्र यह रहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो नोटिस जारी किया गया, वह अपीलाण्ट से सम्यक् तामील नहीं हुआ। इस तथ्य का अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से परीक्षण करने पर यह प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस स्वयं अपीलाण्ट से तामील करवाया गया है, जो विधिवत तामील की परिभाषा में आने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस को तामील माना गया। इसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसी दिवस अपीलाण्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है। उक्त समस्त प्रक्रिया राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 में प्रावधित है, किन्तु इसके पश्चात अपीलाण्ट द्वारा एकपक्षीय आदेश अपास्त करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा के समक्ष विहित प्रावधानों के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया तथा प्रकरण में प्रतिरक्षा का अवसर प्रदान कराने का निवेदन किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्वीकार किया गया। प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के अनुसार पक्षकार को अपने हितों की रक्षा करने का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात प्रकरण के गुणावगुण पर पारित निर्णय ही विधि सम्मत माना गया है। प्राकृतिक न्याय के सर्व मान्य सिद्धान्तों के अनुसार किसी भी वाद में सम्बन्धित पक्षकार को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिये बगैर उसके विरूद्ध निर्णय पारित किया जाना न्यायसंग नहीं कहा जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एकपक्षीय आदेश को अपास्त कराते हुए प्रतिरक्षा का अवसर प्रदान कराने का अनुतोष चाहा है, जिस

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

पर न्यायालय को उदार रूख अपनाते हुए अपीलाण्ट को प्रतिरक्षा एवं अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करना चाहिए था, जो नहीं किया गया है। उक्त प्रक्रिया प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध है। इस कारण जैर अपील निर्णय को विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलेक्टर पाली द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 59/2016 तहसीलदार पाली बनाम सलमा बानो में पारित आदेश दिनांक 05.12.2016 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान् को समुचित साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 24.7.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली